उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्याः 105–विनियम एवं काविनी–29/पाकालि /2023– दिनांकः 24 फरवरी, 2023

मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत),
समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–। एवं ।।)
समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उप महाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

विषय :– **कारपोरेशन कार्मिकों द्वारा पदोन्नति से इन्कार (Forgo) किये जाने सम्बन्धी प्रकरणों के निस्तारण हेतु कार्यवाही के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन एवं सहयोगी डिस्कॉम में कार्यरत कार्मिकों द्वारा पदोन्नति से इन्कार करते हुए पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किये जाने के कतिपय मामले संज्ञान में आते रहे हैं अथवा एक बार पदोन्नति से इन्कार किये जाने के पश्चात् पुनः पदोन्नति की मॉग की जाती रही है। इस प्रकार के प्रकरणों के निस्तारण हेतु कोई स्थापित व्यवस्था न होने के कारण नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्णय लेने में असहजता होती रही है।

2. इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के कार्मिक अनुभाग–01 के पत्र सं0–14/2022/सैतालीस–का0–1–2022/13(4)/2022 दिनांक 06.10.2022 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों की छायाप्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि कारपोरेशन के किसी भी कार्मिक द्वारा पदोन्नति से इन्कार किये जाने के मामले में तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चत की जाये।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(राकेश भट्ट)
उप सचिव (का०वि०नी० एवं विनियम)

सं0: –(1)–विनियम एवं काविनी–29/पाकालि/23 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी/प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ/म0वि0वि0नि0 लि0, लखनऊ/द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. अपर सचिव–।/।।/।।।, शक्ति भवन (मु0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7. समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

(राकेश भट्ट)
उप सचिव (का०वि०नी० एवं विनियम)

e:\kavini files\viniyam files 329\u.o. files\u.o.no. 2023\24-u-o no- 2023-ce - hydle\letter.doc

सेवा

संख्या- 14/2022/सैतालीस-का-1-2022/13(4)/2022

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 06 अक्टूबर, 2022

विषयः- सरकारी सेवकों द्वारा पदोन्नति से इन्कार(Forgo) किए जाने के संबंध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय सरकारी सेवकों द्वारा पदोन्नति से इन्कार(Forgo) करते हुए पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है अथवा एक बार पदोन्नति से इन्कार(Forgo) किए जाने के पश्चात पुनः पदोन्नति की मांग की जाती है। इस प्रकार के प्रकरणों में शासन की कोई स्थापित व्यवस्था न होने के कारण नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्णय लेने में असहजता की स्थिति का सामना करना पड़ता हैं।

2. अतः इस संबन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी भी सरकारी सेवक द्वारा पदोन्नति से इन्कार(Forgo) किए जाने के मामलों में, निम्नवत् व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :-

(क) पदोन्नति से इन्कार करने वाले संबंधित सरकारी सेवक से इस आशय का विधिवत् शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जाए कि वह भविष्य में पुनः कभी भी अपनी पदोन्नति की मांग नही करेगा।

(ख) एक बार पदोन्नति से इन्कार(Forgo) करने के पश्चात संबंधित सरकारी सेवक को भविष्य में होने वाली पदोन्नति हेतु पात्रता सूची में सम्मिलित नही किया जाएगा।

(ग) ऐसे सरकारी सेवक जिनके द्वारा पदोन्नति से इन्कार(Forgo) किया जाता है, के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नति से इन्कार करने के कारणों का विश्लेषण करते हुए स्वविवेक से यह निर्णय लेगें कि उन्हे भविष्य में, जनहित में, संवेदनशील/महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया जाए अथवा नहीं।

भवदीय

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट [illegible] से सत्यापित की जा सकती है ।